न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 320/2023 निर्णय दिनांक :– 20.06.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. श्री मोहन पुत्र श्री भूरा उम्र व्यस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक।
2. कैलाशी पुत्री श्री भूरा उम्र व्यस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक।
3. मनभर पुत्री श्री भूरा उम्र व्यस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक ।
4. रामप्यारी पुत्री श्री भूरा उम्र व्यस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक।
5. सीता पुत्री श्री भूरा उम्र व्यस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक ।

–अप्रार्थीगण–

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय देवली, जिला टोंक राज0।

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रामधन चौधरी
श्रीमती रश्मि वर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात हाल खाता सं0 131 खसरा नं0 253 रकबा 0.24 है0 बारानी 3, खसरा नं0 258 रकबा 0.46 है0 बारानी 3, खसरा नं0 259 रकबा 0.58 है0 बारानी 3, खसरा नं0 260 रकबा 0.58 है0 बारानी 3, खसरा नं0 261 रकबा 0.51 है0 बारानी 3, खसरा नं0 262 रकबा 0.64 है0 बारानी 3, खसरा नं0 263 रकबा 0.72 है0 बारानी 3 वाके ग्राम संग्रामपुरा, पटवार हल्का निवारिया भू. अ. नि. पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है।

प्रार्थीगण के पिताजी व दादाजी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

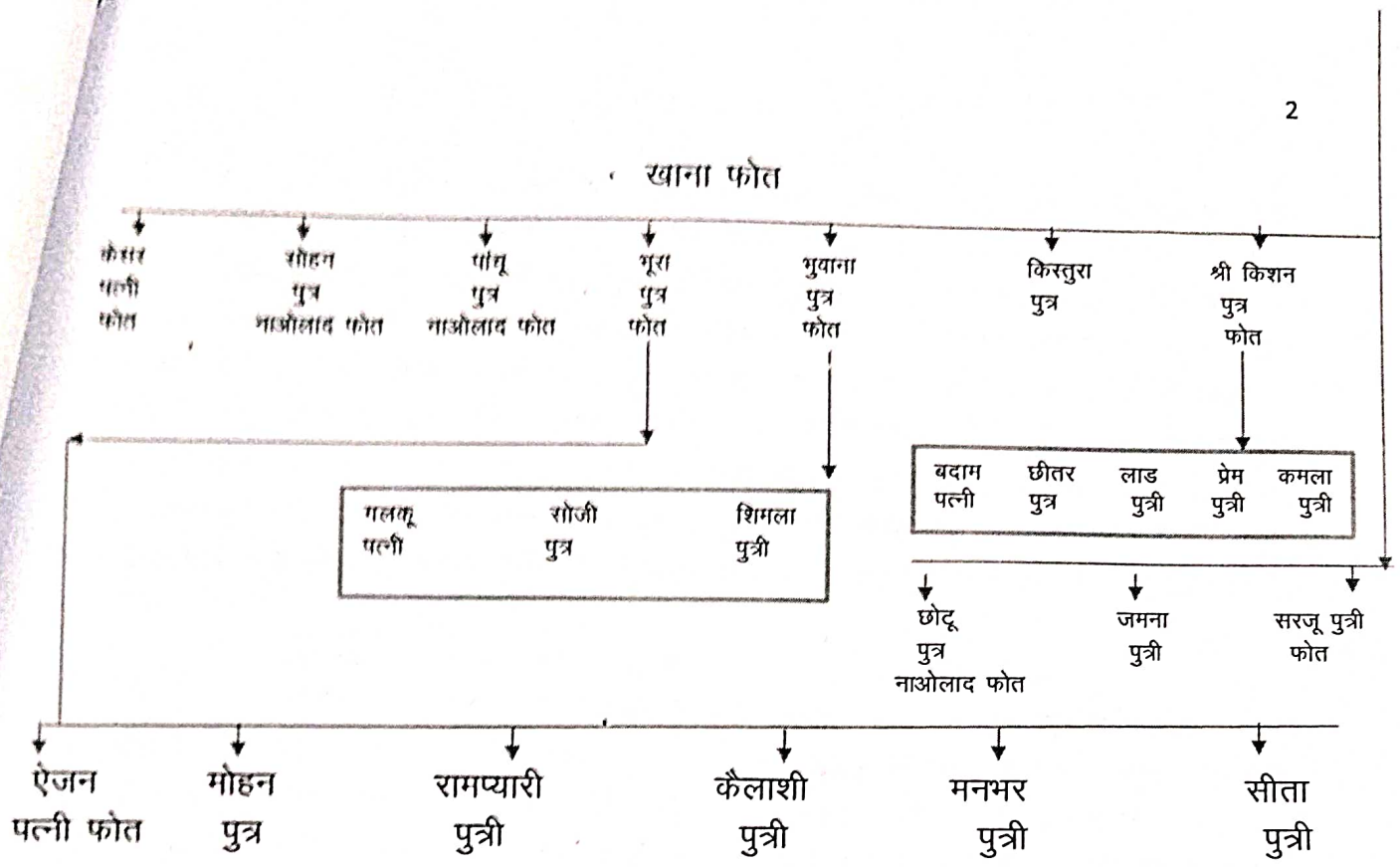

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता भूरा पुत्र श्री खाना की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिसमे भूल व सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिताजी के सही व वास्तविक नाम भूरा है जो सहवन व भूलवश खाना दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एव आवश्यक है। प्रार्थीगण के दस्तावेजात व अन्य कागजात मे प्रार्थीगण के पिताजी का नाम भूरा ही अंकित है तथा प्रार्थीगण के पिताजी भूरा के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में भूल व सहवन से मोहन पुत्र खाना, कैलाशी पुत्री खाना, मनभर पुत्री खाना, रामप्यारी पुत्री खाना, सीता पुत्री खाना दर्ज हो गया है, जो कतई गलत है जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे मोहन पुत्र खाना, कैलाशी पुत्री खाना, मनभर पुत्री खाना, रामप्यारी पुत्री खाना, सीता पुत्री खाना के स्थान पर श्री मोहन पुत्र श्री भूरा, कैलाशी पुत्री श्री भूरा, मनभर पुत्री श्री भूरा, रामप्यारी पुत्री श्री भूरा, सीता पुत्री श्री भूरा किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। क्योकि प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरा है। वर्तमान मे प्रार्थीगण के पिता भूरा के स्थान पर प्रार्थीगण के दादा खाना का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता खाना के स्थान पर भूरा का नाम अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। उक्त प्रार्थनापत्र सद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे कोई गलत मंशा निहित नहीं है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम मे पिताजी

का नाम खाना के स्थान पर भूरा का अंकन उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण मोहन पुत्र खाना, कैलाशी पुत्री खाना, मनभर पुत्री खाना, रामप्यारी पुत्री खाना, सीता पुत्री खाना दर्ज हो गया है। जो कतई गलत है जिसे दुरूस्त कर खाना के स्थान पर प्रार्थीगण वास्तविक पिता का नाम श्री मोहन पुत्र श्री भूरा, कैलाशी पुत्री श्री भूरा, मनभर पुत्री श्री भूरा, रामप्यारी पुत्री श्री भूरा, सीता पुत्री श्री भूरा का दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के न्यायिक आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार भूरा के एक पुत्र मोहनलाल चार पुत्रियां रामप्यारी मनभर कैलाशी सीता एंव पत्नी एजन फोत बताया। ग्राम संगामपुरा का नाम. सं. 325 निर्णय दिनांक 10.06.2015 जरिये विरासत भूरा पि. खाना कोम खटीक हि. 1/7 सा. देह के बजाय नामांतकरण से मोहनलाल पुत्र रामप्यारी मनभर कैलाशी सीता पुत्रियां खाना कोम खटीक हि. 1/7 के नाम दर्ज होकर निर्णित हो चुका है जबकि उक्त के बजाय मोहनलाल पुत्र रामप्यारी मनभर कैलाश पुत्रियां भूरा 1/7 कोम खटीक सा. देह खातेदार के नाम दर्ज होकर निर्णित होना चाहिए था।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहरान किया।

तहसीलदार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प्रार्थीगण के पिता का नाम खाना दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामान्तकरण ग्राम संग्रामपुरा के नामा. संख्या 325 निर्णय दिनांक 10.06.15 के कॉलम संख्या 7 में भूरा पि. खाना कोम खटीक सा. देह खातेदार शेष बदस्तूर का अंकन है और कॉलम संख्या 9 में मोहनलाल पुत्र रामप्यारी मनभर कैलाशी सीता पुत्रियां खाना कोम खटीक का अंकन है। कॉलम संख्या 16 में खातेदार भूरा फोत हो जाने उसके वारिसान के नाम नाम. दर्ज कर वास्ते स्वीकृत पेश है। जमाबंदी सम्वत 2068–71 में भूरा किस्तुरा छोटू पि0 खाना 3/7 भूवाना श्री किशना पुत्र काना 3/7 व केसर बेवा खाना हि. 1/7 कोम खटीक खसरा नं0 253 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 258 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 260 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 261 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 262 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.72 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.73 है0 दर्ज है। नगर निगम जयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.22 में

भूराराम खटीक पिता का नाम कानाराम खटीक दर्ज है। मोहनलाल के आधार कार्ड व पहचान पत्र में पिता का नाम भूरा लाल दर्ज है।

उक्त दस्तावेजो व तहसीलदार देवली की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह यह तथ्य सामने आते है कि भूरा पुत्र खाना के फोती नामान्तकरण संख्या 325 में फोती का नामान्तकरण भरते समय भूरा के वारिसान में पिता का नाम भूरा दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से भूरा के वारिसान, प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरा के स्थान पर भूरा के पिता का नाम खाना दर्ज हो गया जिसको प्रार्थीगण ने अपने दस्तावेजो से व तहसीलदार देवली ने अपने जवाब/रिपोर्ट से साबित किया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खसरा नं0 253 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 258 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 260 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 261 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 262 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.72 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम खाना के स्थान पर भूरा दर्ज करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय दिनांक 20.06.2024 को सुनाया गया।

20/6/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली